भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4031
(जिसका उत्तर मंगलवार, 03 अप्रैल, 2018 को दिया गया)

निगमित सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) के तहत फ़र्ज़ी विकास कार्य

4031. श्री विशम्भर प्रसाद निषादः
चौधरी सुखराम सिंह यादवः
श्रीमती छाया वर्माः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निगमित सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) के तहत विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा पिछले 3 वर्षों में कितनी राशि व्यय की गई है;
(ख) गैर-सरकारी एवं सरकारी कंपनियों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में व्यय की गयी राशि का राज्य-वार एवं जनपद-वार तथा कार्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या यह सच है कि सीएसआर के तहत कार्यों में बड़े पैमाने पर निजी फर्म/एनजीओ फर्ज़ी तरीके से कार्य सम्पन्न करवा रहे हैं जिससे विकास कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है; और
(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्री अरुण जेटली)**

(क) और (ख): कंपनियों द्वारा दिनांक 30.11.2017 तक वित्तीय वर्ष 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए एमसीए 21 रजिस्ट्री में की गई फाइलिंग से संकलित आंकड़ों के अनुसार संबंधित कंपनियों द्वारा सीएसआर पर किया गया व्यय नीचे तालिका में दिया गया है :-

वित्तीय वर्षों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और प्राइवेट क्षेत्र की कंपनियों द्वारा किया गया सीएसआर व्यय

क्र.सं.	**कंपनी का प्रकार**	**वित्तीय वर्ष 2014-15 (करोड़ रु. में)**	**वित्तीय वर्ष 2015-16 (करोड़ रु. में)**	**वित्तीय वर्ष 2016-17 (करोड़ रु. में)**
1.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	2673.85	4163.09	1325.83
2.	प्राइवेट क्षेत्र की कंपनियां	6890.92	9664.77	3393.17
	कुल	9564.77	13827.86	4719.00

कंपनियों, जिन्होंने सीएसआर व्यय की सूचना दी है, द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सीएसआर व्यय और कार्य-वार सीएसआर व्यय क्रमशः अनुलग्नक । और अनुलग्नक ॥ पर दिया गया है। कंपनियों द्वारा सूचित किए गए अनुसार जिला-वार आंकड़े इस मंत्रालय के राष्ट्रीय सीएसआर डाटा पोर्टल www.csr.gov.in पर उपलब्ध हैं।

(ग) और (घ): जब कभी सीएसआर प्रावधानों का उल्लंघन पाया जाता है, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(8) के तहत कार्रवाई प्रारंभ की जाती है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए अधिनियम की धारा

134(3)(ण) के साथ पठित धारा 135 के प्रावधानों के गैर-अनुपालन हेतु अभी तक 228 कंपनियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई प्रारंभ की है।

*****

अनुलग्नक-I

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4031 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

वित्तीय वर्ष 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के दौरान किए गए सीएसआर व्यय का राज्य/संघ शासित क्षेत्र-वार विवरण

सीएसआर व्यय (करोड़ रुपये में)				
क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2014-15	2015-16	2016-17
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.29	0.54	0.07
2	आन्ध्र प्रदेश	403.91	1,220.54	101.69
3	अरुणाचल प्रदेश	11.03	1.49	7.98
4	असम	133.07	166.81	38.28
5	बिहार	36.20	108.15	36.90
6	चंडीगढ़	1.73	5.08	4.17
7	छत्तीसगढ़	158.89	236.22	14.85
8	दादर एवं नगर हवेली	2.54	12.03	1.65
9	दमन एवं दीव	20.05	2.13	0.83
10	दिल्ली	214.24	468.18	229.87
11	गोवा	26.60	30.25	10.54
12	गुजरात	296.53	550.98	152.04
13	हरियाणा	176.29	364.22	107.87
14	हिमाचल प्रदेश	9.30	51.71	10.57
15	जम्मू और कश्मीर	40.57	103.02	27.83
16	झारखंड	75.86	115.70	24.24
17	कर्नाटक	382.79	730.64	202.71
18	केरल	64.30	129.24	50.94
19	लक्ष्यद्वीप	0.00	0.30	0.00
20	मध्य प्रदेश	137.15	178.94	213.48
21	महाराष्ट्र	1,372.34	1,810.45	702.37
22	मणिपुर	1.57	5.93	6.03
23	मेघालय	3.52	3.86	2.99
24	मिजोरम	1.03	1.08	0.08
25	नागालैंड	1.11	0.95	0.45
26	ओडीशा	249.50	604.26	191.43
27	पुदुचेरी	1.81	6.31	3.71
28	पंजाब	53.86	68.17	20.17
29	राजस्थान	271.36	472.46	84.99
30	सिक्किम	1.03	1.90	2.12
31	तमिलनाडु	498.89	597.60	202.53
32	तेलंगाना	94.89	248.57	64.56
33	त्रिपुरा	1.16	1.47	0.60
34	उत्तर प्रदेश	138.64	406.93	120.34
35	उत्तराखंड	69.99	71.50	30.74
36	पश्चिम बंगाल	178.61	399.89	121.12
37	समस्त भारत*	4,434.12	4,650.39	1,928.26

	कुल योग	**9,564.77**	**13,827.86**	**4,719.00**

*कंपनियों ने या तो राज्यों का नाम नहीं बताया है या एक से अधिक राज्य का उल्लेख किया है जहां परियोजनाएं शुरू की गईं।

*****

अनुलग्नक-II

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4031 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

वित्तीय वर्ष 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए क्षेत्र-वार सीएसआर व्यय

क्र.सं.	क्षेत्र	2014-15	2015-16	2016-17
1	स्वास्थ्य/भूखमरी, गरीबी और कुपोषण का निवारण/ सुरक्षित पीने का पानी/स्वच्छता	2,382.27	4,330.21	1,201.37
2	शिक्षा/विक्लांगजन/जीविका	3,021.47	4,689.81	1,605.05
3	ग्रामीण विकास परियोजना	1,031.02	1,327.57	628.56
4	पर्यावरण/पशु कल्याण/संसाधनों का संरक्षण	812.31	901.80	306.68
5	स्वच्छ भारत कोष	94.52	323.24	89.35
6	अन्य कोई कोष	272.58	322.63	137.70
7	लैंगिक समानता/महिला सशक्तिकरण/वृद्धाश्रम/ असमानता हटाना	172.63	331.50	122.60
8	प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष	211.04	206.08	109.81
9	खेलों को प्रोत्साहन	53.36	134.76	51.73
10	विरासत कला और संस्कृति	113.62	114.90	49.64
11	स्लम विकास क्षेत्र	101.07	13.60	1.97
12	निर्मल गंगा कोष	4.64	32.52	22.97
13	अन्य क्षेत्र (सशस्त्र सेनाओं को प्रौद्योगिकी इनक्यूबेटर और लाभ, प्रशासनिक ऊपरी खर्च तथा अन्य*)	1,294.24	1,099.24	391.57
	कुल (करोड़ रुपये में)	**9,564.77**	**13,827.86**	**4,719.00**

*निर्दिष्ट नहीं किया गया है।

*****